# खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0024 / 2017

1- Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation Limited Depot Jaipur GCMMF Ltd., Jaipur through Nominee A.K. Mathur, B-40, Keshav Path, Surjan Nagar West, Civil Line Phase, Jaipur-302006

2- Ashok Kumar Mathur S/o Shri Ganpat Lal Mathur (Nominee), Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation Limited Depot Jaipur GCMMF Ltd., Jaipur B-40, Keshav Path, Surjan Nagar West, Civil Line Phase, Jaipur-302006

3- Manoj Tambi S/o Shri Radheyshyam Tambi M/s K. Marketing, 538, Laxmi Colony, Near Sanganer Stadium, Sanganer, Jaipur

-----**Appellants**

## :: Verses ::

1- State of Rajasthan, Vinod Kumar Kharwan, Food Safety Officer Office Chief Medical and Health Officer, Jaipur East.

2- Office of Chief Medical and Health Officer, Jaipur East.

-----**Respondents**

उपस्थितः—

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजीत शर्मा, एडवोकेट वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 10.09.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर के आदेश दिनांक 21.02.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 52 / 2016 सरकार बनाम मनोज ताम्बी वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011 के Regulation No. 2.2.5.3 का उल्लंघन करने पर 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति संयुक्त रूप से अधिरोपित की गई है।

2. तथ्यों के अनुसार यह बताया गया कि दिनांक 22.05.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर के द्वारा मनोज ताम्बी, मालिक मैसर्स के. मार्केटिंग,

538 लक्ष्मी कॉलोनी, नियर सांगानेर स्टेडियम, सांगानेर, जयपुर के यहां से फेट स्प्रेट (डिलिसियस) का सैम्पल वास्ते जांच लिया जो बाद जांच सब–स्टेण्डर्ड पाया गया। आवश्यक स्वीकृति के पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्व परिवाद न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण पर संयुक्त रूप से 50,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. बहस के दौरान यह तर्क रखा गया कि इस प्रकरण में केवल मात्र अधिरोपित की गई शास्ति के विरूद्व तर्क रखना चाहते है। योग्य अधिवक्ता वास्ते वास्ते अपीलार्थीगण का तर्क है कि अधिरोपित की गई शास्ति अत्यधिक है, योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया, अपील में उसे पक्षकार बनाने से प्रकरण की गुणता पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शास्ति निर्माता पर अधिरोपित नहीं की गई है।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

**:: आदेश ::**

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 52/2016 सरकार बनाम मनोज ताम्बी वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011 के Regulation No. 2.2.5.3 का उल्लंघन करने पर अपीलार्थीगण पर संयुक्त रूप से 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 35,000रूपये (अक्षरे पैंतीस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थीगण अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को

निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर